


5
प्र.निग.०/रीवा/भू-श.०/2017/3677

120

545

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर खण्डपीठ - रीवा
(म०प्र०)



RS-301-

1. मुस० बसंती बेवा पत्नी सौखीलाल साकेत,
2. अशोक तनय स्व. सौखीलाल साकेत,
3. रामप्रकाश तनय स्व. सौखीलाल साकेत,
4. बीरन तनय स्व. सौखीलाल साकेत,
5. इन्द्रजीत तनय स्व. सौखीलाल साकेत,
6. प्रमोद साकेत तनय स्व. सौखीलाल साकेत,



आवेदिका द्वारा लगे
द्वारा पेशा 06-10-2017

सभी निवासी ग्राम-ढेकहा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०)

—आवेदकगण

बनाम

1. आदित्यप्रताप सिंह तनय श्री समशेर बहादुर सिंह,
भानू प्रताप सिंह तनय श्री समशेर बहादुर सिंह,
3. अभय बंशल तनय रामेश्वर प्रसाद बंशल
तीनो निवासी ग्राम-ढेकहा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय
अधिकारी तहसील हुजूर जिला-रीवा
(म०प्र०) प्रकरण क्रमांक 01/अ-66/
11-12 आदेश दिनांक 26.07.2017.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

M.

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

बसंती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

120

क्रमांक II/निग0/2017/3677

जिला-रीवा

श्रीमती बसंती साकेत/ आदित्य प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ललेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 01/अ66/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	